## GOVERNMENT OF INDIA



असाधारण

## EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 97] No. 97] दिल्ली, सोमवार, जुलाई 27, 2015/श्रावण 5, 1937 DELHI, MONDAY, JULY 27, 2015/SRAVANA 5, 1937

[ रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 73

[N.C.T.D. No. 73

भाग—IV

PART-IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

महिला एवं बाल विकास विभाग

(महिला सशक्तिकरण सैल)

अधिसूचना

दिल्ली, 27 जुलाई, 2015

पत्रांक एफ.60(59) / म.बा.वि.वि. / स.नि.<u>म.स.प्र. / खंड.-IV /</u> 16902—917.—दिल्ली महिला आयोग अधिनियम, 1994 (दिल्ली अधिनियम 1994 की संख्या 8) की धारा 3 के द्वारा प्रदत्त षित्तयों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, दिल्ली महिला आयोग का निम्न अध्यक्ष एवं सदस्यों सहित अधिसूचना पारित होने की तिथि से पुनर्गठन करती है :--

सुश्री स्वाती मालीवाल
B-635, अवंतिका, रोहिणी,

सेक्टर-1, नई दिल्ली-110085

2. सुश्री प्रोमिला गुप्ता

16-A, ओल्ड मार्किट,

तिमारपुर, दिल्ली-110054

सुश्री फ़राहीन मिलक

G-2, हमदर्द यूनिवर्सिटी कैम्पस,

हमदर्द नगर, नई दिल्ली

—अध्यक्ष

-सदस्य

-सदस्य

4. सुश्री सारिका चौधरी

New Delhi.

-सदस्य

रूम नं.—600, अखिल भारतीय महिला परिषद छात्रावास 6, भगवानदास रोड. मंडी हाउस. नई दिल्ली

आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से 3 वर्षों तक दिल्ली महिला आयोग अधिनियम, 1994 की धारा 4 के अनुसार अपने पद पर कार्य करेंगे। यह अधिसूचना पूर्व में जारी की गयी अधिसूचना संख्या 60(59)/म.बा.वि.वि./स.नि.म.स.प्र./खंड:.-IV/22773-789 दिनांक 29.09.2014 के अतिरिक्त सभी अधिसूचनाओं को अधिक्रमित करती है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेष से तथा उनके नाम पर, सुषील सिंह,संयुक्त निदेषक

## DEPARTMENT OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT

(WOMEN EMPOWERMENT CELL)

## NOTIFICATION

Delhi, the 27th July, 2015

No.60(59)/DWCD/ADWEC/Vol.-IV/16902-917.—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Delhi Commission for Women Act, 1994 (Delhi Act 8 of 1994), the Government of National Capital Territory of Delhi hereby reconstitutes the Delhi Commission for Women for the National Capital Territory of Delhi consisting of the following persons with effect from the date of notification, namely:—

1.	Ms. Swati Maliwal	—Chairperson
	B-635, Avantika, Rohini,	
	Sector-1, New Delhi-110085.	
2.	Ms. Promila Gupta	—Member
	16A, Old Market, Timarpur,	
	Delhi-110054.	
3.	Ms. Fraheen Malick	—Member
	G-2, Hamdard University Campus	
	Hamdard Nagar, New Delhi.	
4.	Ms. Sarika Chaudhary	—Member
	Room No.600, AIWC Hostel	
	6, Bhagwandas Road, Mandi House,	

The Chairperson and the Members of the Commission shall hold office for a period of three years from the date of notification, as provided under Section 4 of the Delhi Commission for Women Act, 1994.

This is in supersession of all previous notifications issued in this behalf except notification No. 60(59)/DWCD/ADWEC/Vol.- IV/22773-789 dated 29-09-2014.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the National Capital territory of Delhi, SUSHIL SINGH, Jt. Director